सरल कानूनी ज्ञान माला - 30

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

सिविल अधिकार का मतलब-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछुत की प्रथा एवं उसके द्वारा प्रकट हुई निर्योग्यता को समाप्त किया गया है।

इस प्रथा की समाप्ति के बाद इस प्रथा से शोषित व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अनुसार सिविल अधिकार कहा जाता है।

धार्मिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा-

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को छुआछूत को आधार बनाकर-

- धार्मिक स्थान में प्रवेश करने से, या
- पूजा करने से, या
- किसी भी धार्मिक स्थान पर नहाने या वहां का पानी इस्तेमाल करने से रोकता है।

तो उसे कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिाक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सामाजिक निर्योग्यता और उसके लिए सजा-

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को छुआछूत को आधार बनाकर-

- सार्वजनिक दुकान, होटल, भोजनालय या मनोरंजन के स्थान में आने जाने से रोकता है, या
- बर्त्तनों और अन्य वस्तुओं का जैसे बिस्तर इत्यादि जो किसी सार्वजनिक धर्मशाला, होटल आदि में रखे गए हों उन का प्रयोग करने से मना करना है। या
- कोई व्यवसाय और कारोबार करने से रोकता है। या
- नदी या घाट का प्रयोग करने से रोकता है। या
- ऐसी धर्मार्थ/परोपकारी जगह जिसके रख-रखाव का खर्च सरकार द्वारा दिया जाता हो, उस में आने-जाने से या उसका फायदा उठाने से रोकता हो। या
- सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करने से रोकता हो। या
- किसी मुहल्ले में घर बनाने या जमीन खरीदने से रोकता हो। या
- किसी सामाजिक या धार्मिक जलसे में रीति रिवाजों का पालन नहीं करने देता। या
- गहनें अथवा अच्छे कपड़े पहनने से रोकता हो।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सार्वजनिक अस्पताल इत्यादि में पाबन्दी के लिए सजा -

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अस्पताल, दवाखाने या शैक्षिक संस्थान में दाखिल देने में या दाखिले

के बाद छुआछूत के आधार पर भेदभाव करना है तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने से 6 महीने तक की जेल और 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सामान बेचने या सेवा प्रदान करने से मना ही करने के लिए सजा-

जब कोई व्यक्ति छुआछूत को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचनने या कोई सेवा प्रदान करने से मना करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को काम करने के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया है तो उसका लाइसेन्स निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

छुआछूत के आधार पर किये गए अन्य अपराध-

◆ जब कोई व्यक्ति

1. किसी व्यक्ति को उसके सिविल अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है, या
2. उनका प्रयोग करने पर उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे छेड़ता है, मारता है या चिढ़ाता हो। या
3. लिखित रूप में या इशारों से लोगों को छुआछूत की प्रथा का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करता है। या
4. अनुसूचित जाति के लोगों की छुआछूत के आधार पर बेइज्जती करता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

◆ जब कोई व्यक्ति सिर्फ बदले की भावना से किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी सम्पत्ति को केवल इसलिए नुकसान पहुंचाने का अपराध करता है, कि उस व्यक्ति ने अपने सिविल अधिकार का प्रयोग किया है और अगर ऐसे अपराध की सजा 2 साल या उस से अधिक की जेल है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 2 साल की जेल और जुर्माना होगा।

जब कोई व्यक्ति-

1. अपने ही समुदाय के व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर उसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है। या
2. किसी व्यक्ति का बहिष्कार सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह छुआछूत कर प्रथा का पालन नहीं करता है या इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी को शौचालय को साफ करने, झाडु मारने, पशुओं का मृत शरीर फेंकने, चमड़ा उतारने या नाभि-नाड़ी को फेंकने के लिए मजबूर करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक छः महीने तक की जेल और कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अपराध के लिए उकसाने की सजा-

कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्दर किये गए किसी अपराध को करने के लिए किसी को उकसाता है तो उसे उस अपराध के लिए दी गई सजा दी गई सजा दी जाएगी।

लोक सेवक जो जानबूझकर इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अपराधों की छानबीन नहीं करता तो उसकी इस तरह की लापरवाही को भी अपराध के लिए उत्साहित करना माना जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना-

राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी जगह पर पूरे समुदाय ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध ा किया है य उसे उकसाया है या जिस व्यक्ति ने अपराध किया है या उसे छिपाया है तो राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना भी लगा सकती है और उसकी वसूली के लिए नियम बना सकती है।

दोबारा अपराध करने पर सजा-

अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्दर दिए गए अपराध के लिए दोबारा दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक एक साल तक की जेल और कम से कम 200 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध-

अगर कोई कम्पनी इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध करती है तो कम्पनी के कार्यों के संचालन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वह व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी माना जाएगा।

संक्षिप्त विचारण-

इस अधिनियम के अन्दर होने वाले सभी सुनवाइयां न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप में की जाएंगी।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद इस विषय में और कोई कानून लागू नहीं होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार और अपराध को रोकने और ऐसे अपराधों से पीड़ितों व्यक्तियों के पुनर्वास (दोबारा बसाने) से संबंधित विषयों के लिए बनाया गया है।

अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड-

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है अगर किसी अनुसूचित जाजि या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निम्न प्रकार से परेशान करना है जैसे-

1. कोई भी न खाने योग्य या हानिकारक चीज खाने या पीने के लिए मजबूर करता है, या
2. उसके घर में उसका नुकसान या परेशान करने के लिए शौच, मूत्र या गन्दगी फेंकता है। या
3. उसके कपड़े जबरदस्ती उतारे, उसको बिना कपड़ों के या उसके चेहरे या शरीर को रंग कर उसे घुमाने पर मजबूर करता है। या
4. सकी जमीन पर कब्जा करता है या उस पर खेती करता है। या
5. उसको उसकी जमीन से निकाल देता है या किसी जगह पानी को प्रयोग न करने दे, या
6. उससे बन्धुआ मजदूरी करवाता है या जबरदस्ती काम करवाता है या बिना मजदूरी के काम करवाता है। या
7. उसको मतदान करने से रोकता है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए मतदान करने के लिए मजबूर करता है, या
8. उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दायर करता है या झूठा दोष लगाकर कानूनी कार्यवाही करवाता है, या
9. उसके विरूद्ध किसी लोक सेवक (सरकार कर्मचारी) को झूठी खबर देकर उसके द्वारा कार्यवाही कराता है। या

10. उसको अपमानित करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर उसका अपमान करता है। या

11. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की लज्जा भंग करने के लिए बल का प्रयोग करता है। या

12. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है और उस स्थिति का प्रयोग करके ऐसी महिला का शारीरिक शोषण करता है।

13. उसके द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले पानी की जगह को गंदा करता है। या

14. उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से मना करता है। या

15. उसको उसका मकान, गांव या दूसरी रहने की जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक पांच साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के–

1. विरूद्ध झूठी गवाही या सबूत देता है जिसके कारण उसे मृत्यु दण्ड मिल सकता है तो ऐसी झूठी गवाही या सबूत देने वाले व्यक्ति को उम्र कैद और जुर्माना की सजा होगी।

2. उसके विरूद्ध झूठी गवाही या सबूत देता है, जिसके कारण उसे ऐसे अपराध के लिए सजा मिलती है, जिसकी सजा सात साल की जेल या अधिक है तो ऐसे व्यक्ति को छः महीने से सात साल तक की जेल हो सकती है।

3. उसकी सम्पत्ति को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाता है या कोशिश करता है तो उसे कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

4. उसकी धार्मिक जगह को या रहने की जगह को आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाता है, या कोशिश करता है तो उसे कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

5. उसके विरूद्ध कोई ऐसा अपराध करे जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दस साल से ज्यादा की जेल होती है, तो ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए किसी अपराध के गवाह या अपराध के बारे में जानकारी छिपाता है जिससे कि अपराधी बच जाएं तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए दी गई सजा से दण्डित किया जाएगा।

अगर कोई सेवक (सरकारी कर्मचारी) इस अधिनियम के अन्दर कोई अपराध करता है, तो उसे कम से कम 1 महीने की जेल और ज्यादा से ज्यादा उस अपराध के लिए दी गई सजा हो सकती है।

कर्त्तव्यों का पालन न करने के लिए दण्ड–

जब कोई लोक सेवक (सरकार कर्मचारी) जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है।

दोबारा अपराध करने पर सजा–

दूसरी बार या उससे ज्यादा बार अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा उस अपराध के लिए दिए गए समय के लिए सजा हो सकती है।

विशेष न्यायालय–

राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद इस अधिनियम के अपराधों के लिए सत्र

न्यायालय को विशेष न्यायालयों का दर्जा दे सकती है। साथ ही विशेष सरकारी वकील (लोक अभियोजक) भी नियुक्त करेगी।

विशेष न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले कुछ आदेश-

अगर विशेष न्यायालय को यह लगता है कि-

- इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध में किसी सम्पत्ति का प्रयोग हुआ है तो विशेष न्यायालय उस सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश दे सकता है।
- पुलिस रिपोर्ट के तहत किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर होने से इस अधिनियम के अन्दर किसी अपराध के होने की सम्भावना है तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में आने जाने से रोक सकता है।

नियम बनाने की शक्ति-

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1995 में इन नियमों का गठन किया। इस नियमों में मुख्य रूप से अपराधों के लिए दी जाने वाले मुआवजें की रकम दी गई है जो किस इस प्रकार है।

क्र सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1. 2. 3.	न खाने योग्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध (परेशान) करना। अपमानजनक कार्य।	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 250000 रु. या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। (1) 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए। (2) 75 प्रतिशत जब अभियुक्त को निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
4. 5.	जमीन पर अवैध कब्जा करना या उस पर खेती करना भूमि परिसर या जल से संबंधित	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25000 रु. या उससे अधिक। भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सकरारी खर्च पर पुनः की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तब पूरा भूगतान किया जाएगा।
6.	बेगार या जबरदस्ती काम करवाना	प्रत्येक पीड़ित को कम से कम

या	बंधुवा मजदूरी करवाना।	25000 रु.। प्रथम सूचना रिपोर्ट के समय, 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध के साबित होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25000 रु. तक।
8.	झूठा, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली कानूनी कार्यवाही।	25000 रु. या वास्तविक कानूनी खर्च और नुकसान की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के मामले की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9.	झूठी या तुच्छ (घटिया) जानकारी	
10.	अनादर, धमकाना और अपमान	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25000 रु. तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप–पत्र अदालतों को भेजा जाए और शेष दोषसिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50000 रु.।
12.	महिला का लैगिंक शोषण	चिकित्सीय जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भूगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत मुकदमे की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
13.	पानी गंदा करना	1,00,000 रु. तक जब पानी को गंदा कर दिया जाए या उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशानस द्वारा ठीक समझा जाए

		भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के परम्परागत अधिकार से वंचित करना।	1,00,000 रु. तक या मार्ग या मार्ग के अधिकार को पुन: करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो उसका प्रतिकर मुआवजा। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र अदालत को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध साबित होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना।	ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25.000 रु. का प्रतिकर (मुआवजा) तथा सरकार के खर्च पर मकान को दोबारा बनाने के लिए यदि उसे नष्ट किया गया हो, पूरी लागत का भुगतान जब निचली अदालत में आरोप पत्र भेजा जाए।
16.	झूठी गवाही देना	कम से कम 1,00,000 रु. या हुए नुकसान या हानि का पूरा हर्जाना। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र अदालत में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर।
17.	भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना।	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उससे आश्रित को कम से कम 50,000 रु.। यदि अनुसूची में अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंध किया हुआ हो तो इस राशि में अंतर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के द्वारा	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा

	सताया जाना।	हर्जाना। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र अदालत में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचली अदालत में अपराध साबित हो जाए, किया जाएगा।
19.	विकलांगता-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 4-2/83-एच. डब्ल्यू-3 तारीख 6-8-1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं की परिभाषाएं दी गई है। अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध-2 पर है।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 रु.। 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000 रु.। 50 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचली अदालत में दोषसिद्ध होने पर।
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	उपरोक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को कम से कम 15,000 रुपये और परिवार के

		विद्यमान सदस्य को कम से कम 30,000 रुपये।
20.	हत्या/ मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य। (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	 प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000 रु.। 75 प्रतिशत पोस्टमॉर्टस के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा अपराध साबित होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000 रु.। 75 प्रतिशत भुगतान पोस्टमार्टस के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचली अदालत में अपराध साबित होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार बलातसंग, सामूहिक बलातसंग, गैंग द्वारा किया गया बलातसंग स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युत मदों के अन्तर्गत, भुगतान की गई राहत के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचारी की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप में की जाए– (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 1000 रु. प्रतिमाह की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य के परिवार के एक सदस्य को रोजगार, या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो, तो तम्काल खीरदकर उपलब्ध कराना। (ii) पीड़ितों के बालकों की शिक्षा और उसके भरण–पोषण का पूरा खर्च। बालकों को आश्रम, विद्यालयों

		आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन महीने के समय तक बर्तन, चवाल, गेहूं, दाल, दलहन आदि की व्यवस्था करना।
22.	पूर्णतया नष्ट/जला हुआ मकान	जहां मकानों को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहां सरकारी खर्च पर ईट/पत्थर के मकान के निर्माण की व्यवस्था की जाए।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -